राजस्थान सरकार
आयोजना (समन्वय) विभाग

क्रमांकः प.2(4)आयो/ग्रुप–2/2018 जयपुर, दिनांक 02.04.2018

श्री राजवीर सिंह,
सहायक निदेशक, मूल्यांकन
(उप निदेशक पद विरुद्ध पदस्थापित)
स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर

कारण बताओ नोटिस

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.03.2018 के द्वारा आपकी सेवायें दिनांक 23.03.2018 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 25.03.2018 तक उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 18वीं बैठक में आने वाले राज्य अतिथियों के प्रोटोकॉल हेतु तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहीत की गई थी।

इस विभाग में कार्यरत सांख्यिकी अधिकारी श्री भारतीश गौड़ द्वारा आपको उक्त आदेश एवं राज्य अतिथि जिनके प्रोटोकॉल में आपको नियुक्त किया गया, का विवरण विभाग से प्राप्त करने बाबत् दूरभाष पर अवगत कराया गया। आपके द्वारा इस विभाग के आदेश की पालना नहीं की गई तथा बाद में संयुक्त शासन सचिव, मॉनीटरिंग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई बार दूरभाष पर सम्पर्क करने के प्रयास करने पर आपके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

उक्त स्थिति में संयुक्त शासन सचिव, मॉनीटरिंग ने आपके विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (सांख्यिकी), श्री नरेन्द्र सिंह पूनिया के माध्यम से आपसे सम्पर्क कर आपको प्रदत्त राजकीय दायित्वों की जानकारी देते हुए आपसे तत्काल उपस्थित होने व प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री नरेन्द्र सिंह पूनिया द्वारा उक्तानुसार आपको सूचित करने पर आपने श्री पूनिया को भी उक्त कार्य हेतु आयोजना विभाग में जाने के लिये मना किया तथा न तो आप आदेशानुसार विभाग में उपस्थित हुए और न ही आप द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया गया। आप द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारणों से भी इस विभाग को यथा समय सूचित नहीं किया गया। आपके उक्त कृत्य से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक जैसे अति महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के सुचारू संचालन तथा राज्य अतिथि के सम्मान में अवरोध उत्पन्न हुआ

उक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा जान बूझकर राज्यादेशों की अवहेलना की गई है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही, राज्यादेश की अवहेलना एवं अनुशाासनहीनता दर्शाता है। क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य के कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे? इस संबंध में आप जो भी प्रत्युत्तर रखते हों तीन दिवस में व्यक्तिशः प्रस्तुत करें।

— Sd —
संयुक्त शासन सचिव, मॉनीटरिंग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3. निदेशक, मूल्यांकन संगठन
4. सहायक शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप—1) विभाग
5. श्री नरेन्द्र सिंह पूनिया, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की लिखित में पुष्टि तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

संयुक्त निदेशक, समन्वय